न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 29/17 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु

–प्रार्थी

: ब ना म :

कमलसिंह पुत्र सरदार सिंह जाट सा. संजय नगंर, 73 कृष्णा कॉलोनी, भरतपुर

–अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. स्टेट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित ।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर नही।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 12.02.2020

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु ने यह प्रकरण दिनांक 29.10.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी कमलसिंह पुत्र सरदारसिंह जाट साकिन भरतपुर को आवंटित भूमि चक 4 एमडबल्यूएम के मु.नं. 195/12 की 19 बीघा कमाण्ड व 5.05 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि का आवंटन विनिमिय समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है जो प्रकिया एवं नियमो के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर विभागीय प्रतिनिधि की एकतरफा बहस सुनी गयी।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि अप्रार्थी कमलसिंह पुत्र सरदारसिंह जाट साकिन भरतपुर को आवंटित भूमि चक 4 एमडबल्यूएम के मु.नं. 195/12 की 19 बीघा कमाण्ड व 5.05 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि का आवंटन विनिमिय समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है जो प्रकिया एवं नियमो के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमावे। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि आवंटन पत्रावली में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

4. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी कमलसिंह पुत्र सरदारसिंह जाट साकिन भरतपुर को आवंटित भूमि चक 4 एमडबल्यूएम के मु.नं. 195/12 की 19 बीघा कमाण्ड व 5.05 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि का आवंटन विनिमिय समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है जो प्रकिया एवं नियमो के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं.3 मु. बज्जु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को आवंटन अधिकारी एवं अति. उपनिवेशन आयुक्त, इगानप, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.07.07 को चक 4 एमडबल्यूएम के मु.नं. 195/12 की 19 बीघा कमाण्ड व 5.05 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। तहसीलदार, बज्जु आदेशानुसार प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज करे।

6. आदेश आज दिनांक **12.02.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,
बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर